राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2025 – निगरानी

1. मेवा लाल पिता बालू लाल गुर्जर बनाम निवासी दंतेडी तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. बालू लाल पिता घीसा गुर्जर निवासी दंतेडी तहसील करेडा जिला भीलवाडा

–निगराकार

1. गोपी गोदपुत्र देवा बलाई निवासी दंतेडी तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत धुवाला(क) पं.स करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा जरिए सचिव
3. ग्राम पंचायत धुवाला(क) पं.स करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा जरिए सरपंच

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत धुवाला(क) पंचायत समिति करेड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा सं. 9 दिनांक 23.01.1998

उपस्थित –

1. श्री मुकेश जैन, निगराकार की ओर से
2. श्री विनोद कुमार तिवारी, गैर निगराकार 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01/01/2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 2 एवं 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 की गोदमाता श्रीमती मगदू देवी बेवा बलाई निवासी दन्तेड़ी के पक्ष मे आबादी भूमि का रियायती दर का पट्टा संख्या 09 मिसल संख्या 01 संवत 2054 के जारी किया गया, जो निगराकार की कब्जे की खेती की जमीन है। गैर निगराकार संख्या 01 एक की गोदमाता मगदू देवी जो तत्समय स्वयं वार्डपंच थी, के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 एक की गोदमाता गरीब नही थी व उसके पास कृषि भूमि व जायदाद थी। जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है, वो जगह किस आराजी नम्बर मे स्थित है, आबादी है या नही इस बाबत भी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नही है व न ही मगदू द्वारा जो पट्टा प्राप्त करना चाहा है, उसके पडौस आदि भी उसके प्रार्थनापत्र मे अंकित नही है व न ही प्रार्थनापत्र की तारीख भी अंकित नही है। जिस जगह पर पट्टा होना बताया जा रहा है, जो सरहद दंतेड़ी पटवार हल्का

1.1.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दंतेड़ी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 220 है, जिस पर निगराकारान अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व 40–50 वर्षो से मकान बनाकर निवास कर रहे है व खाली जगह मे मवेशी आदि बांधते है, घास फुस व लकडिया आदि डाल रखी है, मौके पर निगराकारान का ही कब्जा है। उक्त पट्टे की आड़ मे गैर निगराकार संख्या 01 एक हाल ही मे निगराकारान को बेदखल करने पर आमादा है व सिविल न्यायालय, माण्डल जिला भीलवाड़ा मे दावा पेश किया गया, तब उक्त पट्टे की जानकारी हुई है। पट्टे मे जो पडोस उत्तर दिशा मे रास्ता दर्शा रखा है, जबकि मौके पर कोई रास्ता भी नही है । जिससे स्पष्ट है कि गलत तरीके से पट्टा जारी किया गया है। मोके पर मगदू देवी या उसकी मृत्यु उपरान्त गैर निगराकार संख्या 01 एक का कब्जा नही रहा है। गैर निगराकार संख्या 01 की गोदमाता को रियायती दर पर उक्त भूखण्ड आवंटन करना बताया गया है, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 की माता के पास जमीन आदि भी थी। पंचायत द्वारा बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत उद्घोषणा किये ही उक्त पट्टा जारी किया है, जो खारीज होने योग्य है एवं बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए निगराकार की जमीन मे पट्टा जारी किया, जो निगराकार के हक अधिकारो के मुकाबले शुरू से ही शून्य है, जबकि कब्जा निगराकार का आज भी बदस्तूर काबिज है। पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानो की पालना नहीं की गई। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 के अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नही किया गया, बल्कि एक ही दिन मे घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी, जिबकी नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे 25/– रूपये व नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नही किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/– रूपये जमा कराना अनिवार्य होता है। जबकि गेर निगराकार संख्या 01 की गोदमाता ने ऐसा कोई शुल्क भी जमा नही कराया। जिससे भी स्पष्ट होता है कि नियम 145 क्रय के लिए आवेदन की पालना गैर निगराकार संख्या 02 ने नही कर मात्र गैर निगराकार संख्या 01 की गोदमाता को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय कर पट्टे की राशि जारी कर दी, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की, न ही कोई ग्राम पंचायत धुंवाला(क) व ग्राम दंतेड़ी में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। माह अप्रेल 2019 मे सिविल न्यायालय मे दावा पेश करने, पर निगराकार ने पट्टे की नकले प्राप्त की व उक्त निगरानी अविलम्ब पेश की जा रही है। अतः प्रश्नगत पट्टे को निरस्त फरमाया जावें ।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन है कि जो पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया है, उसकी जारी की गई प्रक्रिया में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कोई भाग नही लिया गया है तथा उक्त पट्टा पूर्णरूप से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानोनुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

धुवालां (करेड़ा) द्वारा आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किया गया है, वेसे भी कृषि भूमि में कोई पट्टा जारी नही होता है। प्रश्नगत निगराकारान का कतई कब्जा नही है और न ही वह आराजी संख्या 220 में स्थित है, बल्कि उक्त पट्टा आबादी भूमि में होकर उस पर गैर निगराकार संख्या 01 के पूर्वजो के जीवनकाल में गैर निगराकार संख्या 01 के पूर्वजो का उपयोग उपभोग रहा तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त गैर निगराकार संख्या 01 विरासत से उक्त जायदाद पर निरन्तर निर्बाद रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त जायदाद के चारो ओर पत्थरो की कोट बनी होकर उक्त जायदाद के अन्दर कुछ भू–भाग पर कच्चे पुराने मकानात बने हुये है व शेष भू–भाग खाली है, जिस पर गैर निगराकार संख्या 01 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त पट्टे सुदा जायदाद के निगराकारान पूर्वी दिशा के पडौसी है तथा गैर निगराकार संख्या 01 से अनुसूचित जाति का सदस्य होने की वजह से अकारण रंजिश रखते है। यह निगरानी मात्र निगराकारान की कृषि भूमि के पास में होने से अवैध तरीके से येन केन प्रकारेण उक्त भूमि को हडप कर अपनी कृषि भूमि में मिलाना चाहते है। यदि कोई पुलिस रिपोर्ट निगराकारान ने पेश की है तो वह गलत आधारो पर प्रस्तुत की है, जिससे निगराकारान कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते। पट्टे सुदा जायदाद पर कई वर्षो से निर्बाध रूप से गैर निगराकार संख्या 01 के पूर्वज व वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 01 उपयोग उपभोग कर रहा है, जिसकी पूर्णरूप से जानकारी निगराकारान को पडौसी होने से है। इसलिये यह निगरानी बेरून मियाद होने से चलने योग्य नही है। निवेदन है कि पट्टे सुदा जायदाद पर कई वर्षो से निर्बाध रूप से गैर निगराकार संख्या 01 के पूर्वज व वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 01 उपयोग उपभोग कर रहा है, जिसकी पूर्णरूप से जानकारी निगराकारान को पडौसी होने से है। इसलिये यह निगरानी बेरून मियाद होने से चलने योग्य नही है।

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा उक्त पट्टे सुदा जायदाद का सिविल वाद एवं विविध वाद श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय न्यायालय माण्डल के न्यायालय में निगराकारान के विरूद्व बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश एवं अस्थाई व्यादेश हेतु पेश किया गया, जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रकरण संख्या 27/2019 मु.दी. अनवान गोपी बलाई बनाम मेवालाल गुर्जर वगैरह का आदेश दिनांक 04–05–2019 को किया गया है, जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत उक्त अस्थाई आदेश के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया गया है कि गैर निगराकार संख्या 01 की उक्त पट्टे सुदा जायदाद से गैर निगराकार संख्या 01 को निगराकारान जबरन बेदखल नही करे और न ही गैर निगराकार संख्या 01 की उक्त जायदाद को ध्वस्त कर अपनी आराजियात में मिलावे और न ही उक्त जायदाद पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और न ही किसी अन्य से करावे, गैर निगराकार संख्या 01 को उसकी जायदाद के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट व व्यवधान उत्पन्न नही करे व न ही किसी अन्य से करावे, इस प्रकार पट्टे सुदा/ 2019 में सिविल न्यायालय जायदाद का मामला मूल वाद संख्या माण्डल में विचाराधीन है, इसलिये जहाँ सिविल कार्यवाही लम्बित हो वहाँ उक्त निगरानी चलने योग्य नहीं है। मात्र बेबुनियाद आधारो पर यह निगरानी निगराकारान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कतई चलने योग्य नही है । गैर निगराकार

7.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 द्वारा निगराकारान के विरूद्ध भी दिनांक 23–04–2019 को पुलिस थाना करेड़ा में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई, जो जैर कार्यवाही है, इस प्रकारण निगराकारान गैर निगराकार संख्या 01 को उसकी पट्टे सुदा जायदाद से येन केन प्रकारेण बदेखल कर उक्त पट्टे सुदा जायदाद पर अपना कब्जा कर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपनी आराजियात में मिलाना चाहते है, इसलिये यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो काबिल खारिज होने योग्य है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल के प्रकरण संख्या 27/2019 मु.दी. के आदेश की फोटोप्रति साथ में संलग्न है।प्रार्थना है कि निगराकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पटटा बाबत् वाद सिविल न्यायालय में जैरकार है व स्थगन जारी है। प्रश्नगत पट्टे की निगरानी मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धुवाला(क) पंचायत समिति करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा